न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **251/07 (वाद)**

GCMS No. : 2007/00013

1. श्री भगवान लाल पिता नारायणलाल जी, जाति–मेघवाल, आयु वयस्क, नि. वासनीखुर्द, तह. मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री गणेश लाल पिता नारायणलाल जी, जाति–मेघवाल, आयु वयस्क, नि. वासनीखुर्द, तह, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. श्री छगा पिता गंगाराम जी, जाति–गुर्जर आयु वयस्क, नि. लोपड़ा तह. मावली, जिला उदयपुर (राज०)

1/1 श्री भमरू पिता छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री मांगु पिता छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 श्रीमती नारायणी पुत्री छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा हाल गोलवाड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 श्रीमती वरजु पत्नी छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

2. श्री गणेश पिता गंगाराम जी, जाति–गुर्जर आयु वयस्क, निवासी लोपड़ा तह. मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री हीरालाल पिता नारायणजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. उप पंजीयक महोदयजी. उप पंजीयन कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।

3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 से 2 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 02.05.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनी खुर्द में वादीगण की कृषि भूमि स्थित है, जिसके आराजी नं. 708 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा है, जो हमारे स्वर्गीय पिता नारायणलाल पिता [illegible] से चली आ रही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या [illegible] का नाम दर्ज है। कब्जा आज भी हमारा होकर मकान बना हुआ है। [illegible] आराजी संख्या 708 [illegible] 3 बीघा 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा में हमारा रिहायशी मकान पक्का पटटीपोस बना हुआ है, जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं। वादीगण ने इस जमीन पर एक कुआ आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व खुदवाया तथा पक्का करवाया, जिससे वादीगण अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करते हैं। जमीन के पड़ोस पूर्व में आसबाई का मकान, पश्चिम में हीरालाल मेगवाल की जमीन, उत्तर में स्वयं वादीगण की जमीन एवं दक्षिण में रास्ता एवं कालबेलियों की जमीन स्थित है।

2. यह कि उक्त वर्णित जमीन वादीगण एवं हमारे पिता 50 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे, हमारे पिताजी ने पेनाल्टी जमा कराई यह जमीन पहले बिलानाम दर्ज थी, जिसमें भी हमारे पिताजी का नाम दर्ज था, रेवेन्यू रिकार्ड की प्राप्त नकले भी साथ सलंग्न की जा रही है, जिनसे भी साबित है कि वर्षों से वे काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे थे, उनके साथ हम वादीगण भी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता स्वर्गीय नारायणजी का करीब 16 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया था। जिनके वारीस हम वादीगण होकर खुले रूप में बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के निरन्तर उक्त जमीन एवं उसपर हमारे द्वारा बनाये गये मकान एवं कुए का निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, आज भी हमारा कब्जा हो, मक्की, तिल्ली, उड़द की फसल हमने बो रखी है, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति अथवा प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है, न ही कोई हक दखल है। लेकिन जमाबंदी में पहले प्रतिवादी संख्या 3 का नाम दर्ज चला आ रहा था, लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 का नाम दर्ज हो गया है। जबकि प्रतिवादीगण का कभी कब्जा उक्त आराजी पर नहीं रहा, न है। हम वादीगण उक्त आराजी के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये हैं। इसलिये हम उक्त आराजी खसरा संख्या 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं, इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

3. यह कि वादकारण दिनांक 15–8–2007 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 ने कहा कि उक्त जमीन उनकी है, तथा उन्होंने खाते करा ली है, तब पता किया नकलें ली तो पता चला। अब आये दिन प्रतिवादीगण धमकी दे रहे हैं कि वे जमीन खुर्द बुर्द कर देंगे, तथा वादीगण को लाठी के बलपर हटा, जमीन पर कब्जा कर लेंगे, मकान को गिरा देंगे। वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उन्हें पाबंद नहीं किया गया तो वे उक्त जमीन को रहन बय बक्षीस द्वारा खुर्द बुर्द कर देंगे, तथा वे हम वादीगण को उक्त जमीन से जबरन बेदखल कर देंगे, हमारे मकान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

हमें भारी असुविधा होगी, और मुकदमेबाजी बढेगी, तथा इससे जो अपूरणीय क्षति हम वादीगण को होगी, उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं है।

5. अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की जावे कि उक्त वर्णित आराजी खेत खसरा नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के वादीगण खातेदार कातकार हैं। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि उक्त जमीन में जबरन प्रवेश नही करे, नुकसान नही पहुँचावें कब्जा नही करें, तोड–फौड़ नहीं करे, तथा वादीगण एवं उनके परिवार के लोगों को शांति पूर्वक उपयोग उपयोग करने देवें, किसी प्रकार की बाधा नही पहुंचावें, न अन्य के मार्फत यह कार्य करावें। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त वर्णित जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बय बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, न कोई राशि प्राप्त करें, यह कार्य वह स्वयं नहीं करें न अन्य के मार्फत करावें। उक्त वर्णित जमीन आराजी खेत खसरा नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा रेवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जो उनका नाम हटाया जावे एवं उसके बजाय वादीगण का नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जावे। दौराने दावा प्रतिवादीगण यदि वादगत जमीन पर कब्जा कर लेवें तो पुनः वादीगण को कब्जा सिपूर्द कराया जावे।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4, 5 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा जवाब मय प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वादीगण के स्व. पिता नारायणलाल के कब्जे काश्त मैं कभी नहीं थी तथा उक्त आराजीयात में नारायण का कोई हक या अधिकार नही था। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित है। उक्त आराजी पर कब्जा प्रतिवादी सं. । व 2 का है। वादीगण व उनके पिता का कब्जा आराजी संख्या 708 पर कभी नही था। वादीगण का मकान व कुआ आराजी सं. 708 में स्थित नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के खातेदारी की उक्त आराजी के पास ही वादीगण के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात 709 व 710 है। इन दोनों आराजीयात के बीच सीमाचल का कोई निशान नहीं है और दोनों आराजीयात मिली हुई है। उक्त आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने मवेशी चराते है। इसलिये आराजी संख्या 708 व 709 के मध्य न कोई बाड़, पेड़ या पत्थर सीमांकन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

निशान नही है। इसलिए यह बताना कठिन है कि 708 व 709 कौनसी है। वादीगण ने दो वर्ष पूर्व ही मकान बनाये है। वादीगण कि आराजीयात के पड़ौस पूर्व में गोटू मुसलमान का खेत है व पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात है। उत्तर में वादीगण के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात 709 व दक्षिण में रास्ता व लखु कालबेलिया की कृषि जमीन है।

7. यह कि आराजी संख्या 708 में पिछले 50 वर्षों से वादी या उसके पिता का लगातार निरन्तर शांतिपूर्वक नहीं रहा है और न ही आराजी संख्या 708 की पैनाल्टी वादी या उसके पिता ने जमा करवाई है। आराजी संख्या 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर नाजायज कब्जा हिरा पिता नारायण का था। उक्त आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर आराजी संख्या 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व आराजी संख्या 712 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा कुल 12 बीघा 10 बिस्वा का नियमन हुआ था और प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ थे। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त आराजीयात प्रतिवादी को दिनांक 20.12.69 को दो विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी। प्रथम विक्रय पत्र गणेश पिता गंगाराम के नाम पर 900 रूपये का लिखा गया। द्वितीय विक्रय पत्र 1500 रूपये प्रतिवादी संख्या 1 छगा पिता गंगाराम के नाम लिखा गया। दोनो विक्रय पत्र रजिस्टर्ड है। पिछले 39 वर्षो से लगातार शान्तिपूर्वक उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात वाद संख्या 12/04 छगा बनाम हिरा वगैरा निर्णय दिनांक 25.10.04 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित हुई थी। वादीगण के पिता का स्वर्गवास कब हुआ इसका ज्ञान प्रतिवादीगण को नही है। वादीगण अनुसूचित जाति मेघवाल के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य है। इसलिए वादीगण अनुचित हथकन्डे अपना अनुचित दबाव से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी को हड़पना चाहते है। वादीगण के द्वारा फोटो भी गलत, आधुनिक टेक्नोलोजी इस्तेमाल कर बनवाया गया है। वादीगण द्वारा जो रेकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है उक्त रेकॉर्ड उनके व उनके पिता का कब्जा आराजी संख्या 709 व 710 पर था और उक्त आराजीयात उनके नियमन हुई और वो वादीगण के आज भी खातेदारी हक से दर्ज है। यदि उनके पिता का कब्जा होता उस स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 हीरा पिता नारायण के नाम पर नियमन नही होता और राजस्व रेकॉर्ड में भी हिरा पिता नारायण का ही था। अंत में निवेदन किया कि वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये वादी का घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:41 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पूर्व में बिलानाम कृषि भूमि थी। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 3 हीरा पिता नारायणलाल का नाजायज कब्जा था। पुराना कब्जा होने से नियमानुसार राजस्व अधिकारीयों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर नियमन का आदेश दिया और खातेदारी अधिकार प्रदान किये। नियमन से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 हीरालाल ने तहसील मावली में नाजायज कब्जे की पैनाल्टी जमा करवाई जो प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जमा हुई। यदि वादीगण के पिता का पुराना कब्जा होता तो उनके नाम से पैनाल्टी की राशि जमा होती है। उक्त आराजीयात खातेदार हीरा ने 12.12.69 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था तभी से उक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का लगातार निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वाद पत्र संख्या 12/04 प्रस्तुत किया। जिसका अनवान छगा वगैरा बनाम हीरा वगैरा जिसाक निर्णय 25.10.2004 को हूआ और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर न्यायालय के आदेश से नामान्तरकरण खोला गया। उक्त आराजीयात का लगान खरीदने के पश्चात प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जमा कराते थे और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने के बाद लगान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जमा कराते है। कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी व कब्जे की आराजी संख्या 708 व वादीगण के खातेदारी व कब्जे की आराजी संख्या 709 दोनों पास–पास में स्थित है और दोनों आराजीयात के मध्य कोई सीमा के निशानात नहीं है और न कोई बाड या डोली ही बनी हुई है। क्योंकि उक्त जमीन पथरीली है और इसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व वादी के मवेशी दोनों आराजीयात में चरते है। इसलिये आराजी संख्या 708 व 709 के मध्य कोई सीमा के निशान नही है और पिछले 39 वर्षों से वादीगण व प्रतिवादीगण के मवेशी आराजी संख्या 708 व 709 में चर रहे है। और वादीगण ने उक्त कुआ व मकान दो वर्ष पूर्व ही बनवाया है इसके पूर्व कुआ व मकान बने हुए नहीं थे। इसलिये प्रतिवादी संख्या । व 2 उक्त काउन्टर क्लेम के माध्यम से आराजी संख्या 708 व 709 की पत्थरगढी करवाना चाहते है। यदि वादी का कुआ व मकान आराजी संख्या 708 में बना हुआ है तो उक्त नाजायज रूप से बने हुए मकान व कुएं को हटाने का अधिकारी है।

9. अंत में निवेदन किया की आराजी संख्या 708 व 709 के मध्य पत्थरगढ़ी करवाई जावे और यदि वादीगण का कुआ व मकान आराजी संख्या 708 में पत्थरगड़ी के पश्चात पाया जावे तो कुआ व मकान हटवाये जाने के आदेश प्रदान कराये जायें और वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

गण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जायें कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आराजी सं. 708 में शांतिपूर्वक काश्त करने देवें और उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

10. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। इस जमीन पर वादीगण ने मकान बना रखा है तथा परिवार सहित निवास कर रहे है। वादीगण ने एक कुआ भी खुदवा रखा है। लेकिन जमीन मेरे नाम पर खाते है। आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर मेरा कब्जा नही रहा है। न है। वादीगण ही मालिक है। उपयोग उपभोग कर रहे है। आराजी नम्बर 712 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा मेरी जमीन है। प्रतिवादीगण छगा, गंगाराम ने गलत खाते दर्ज करवा ली है। जिसकी जानकारी मुझे 26.09.2007 को मिली है। आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वादीगण के कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कोई लेना देना नही है। वादीगण आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा को उनके नाम खातेदारी हक से दर्ज करवाने के अधिकारी है। अंत में निवेदन किया कि आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वादीगण के खाते कर दी जावें। उनका खुले रूप से 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा हो मकान बना हुआ है। कुआ खुदवाया है। हजारो रूपया खर्च किये है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 गलत रूप से परेशान कर रहे है तथा उन्होंने गलत खाते कराई है।

11. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया मौजा वासनीखुर्द की आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा स्वर्गीय नारायणलाल पिता परथा मेघवाल के समय से ही वादीगणों के कब्जे में होकर वे ही काश्त कर रहे है। जिस पर मकान बना हुआ है। जिसका वे घोषणा कराने के अधिकारी है।

       .....वादीगण

    2. आया उक्त आराजीयात पर वादीगणों द्वारा 15 वर्ष पूर्व कुआ खुदवाया जिससे वे सिंचाई करते है।

       .....वादीगण

    3. आया वादीगण एवं उनके पिता का पिछले 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये है।

       .....वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

4. आया आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 712 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा का नियमन हुआ था और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1, 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी तथा 39 वर्षो से कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का चला आ रहा है।

..........प्रतिवादी संख्या 1, 2

5. अनुतोष।

12. वादीगण की और से साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री भगवानलाल पिता नारायणलाल वादी संख्या संख्या 1 स्वयं का, पीडब्ल्यू 2 श्री गणेश पिता नारायणलाल वादी संख्या 2 स्वयं, पीडब्ल्यू 3 श्री रामलाल पिता देवा मेघवाल, पेश किये गये। जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से साक्ष्य प्रतिवादी गवाह डीडब्ल्यू 1 श्री भंवरलाल पिता छगा, गवाह डीडब्ल्यू 2 श्री मांगीलाल पिता छगा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। जिरह अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई।

13. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया की वादीगण अपने वाद को साबित कराने में सफल रहे है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88–188–92 (ए.) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आप न्यायालय में पेश किया जिसमें वादीगण ने राजस्व ग्राम वासनी खुर्द तहसील मावली में स्थित आराजी सं. 708 किता एक रकबा 3 बिघा 08 बिस्वा भुमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर कब्जे के आधार पर खातेदारी हक की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया और वादीगण ने अपने वाद पत्र में वाद वर्णित कृषि आराजीयात अपने कब्जे काश्त की बताकर उस पर कुंए का निर्माण करवाने एवं मकान का निर्माण करने के तथ्य प्रस्तुत किये एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने की दाद भी चाही है। एवं उक्त वादग्रस्त कृषि आराजीयात वादीगण के पिता नारायण लाल पिता परथा के समय से कब्जे काश्त में होने एवं बिलानाम होकर पेनाल्टी जमा कराने के तथ्यों का वर्णन भी अपने वाद पत्र में किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के जवाब में खण्डन किया गया और प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 आज दिनांक में खातेदार काश्तकार है जो कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने प्रतिवादी सं. 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और वक्त खरीद से ही काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

काश्त कर रहें हैं और वादीगण किसी प्रकार की कोई भी दाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। एवं प्रतिवादी सं. 3 का वादग्रस्त कृषि आराजीयात 708 रकबा 3 बिघा 08 बिस्वा कृषि आराजीयात पर कब्जा होकर नियमन होकर खातेदारी हक से दर्ज हुई और उसके पश्चात् प्रतिवादी सं. 3 से दो अलग अलग विकय पत्र 20.12.69 से निष्पादित करा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और वक्त खरीद से ही कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं प्रतिवादी सं. 3 एवं 2 के विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 छगा पिता गंगाराम जी गुर्जर द्वारा एक वाद पत्र घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.10.2004 को प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में डिक्री जारी फरामाई जाकर प्रतिवादी सं. 1 को 2/3 हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार आराजी सं. 708 एवं आराजी सं. 712 कुल किता 2 रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 वक्त खरीद से ही वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादीगण का वादग्रस्त कृषि आराजीयात 708 पर कभी भी किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के जवाब के साथ ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादीगण के विरूद्ध काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया कि वादीगण द्वारा यदि प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि आराजीयात पर नाजायज रूप से कृषि आराजीयात पर किसी भी प्रकार का निर्माण किया गया है तो प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 हटवाने के अधिकारी है। एवं वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे की वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 उनके खातेदारी की कृषि आराजीयात का शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे एवं उसमें किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें और कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। वाद पत्र जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर तनकीयात कायम की गई और उभय पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। वादीगण ने अपने पक्ष में साक्ष्य में वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षीत करवाया जिसमें वादी की प्रतिपरीक्षा में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने जिरह वादी स्वयं ने यह स्वीकार किया की वादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है एवं जो रसीदे पेश की उसमें किसी में भी आराजी सं. का अंकन नहीं किया गया हैं वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के जो पड़ौस अंकित किये वो भी गलत अंकित किये है एवं प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में जो सही पड़ौस अंकित किये है उसे ही वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है एवं वादी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं ने यह माना है कि वादग्रस्त आराजीयात जो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने खरीदा है उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहें हैं एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की कृषि आराजीयात के बिच में कोई भी बाड़ या सीमा का अंकन नहीं है जिससे की यह बताया जा सकें कि कौनसी आराजीयात कहां तक है। एंव वादी ने स्वयं ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात पड़त होकर मवेशी चराने के काम आती है जबकि वास्तविकता मे प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त कृषि आराजीयात पर कृषि की जा रही है एवं दोनों ही फसलो की पैदावार ली जा रही है। वादी ने अपने साक्ष्य में पी. डब्ल्यु 2 गणेश पिता नारायण जी मेघवाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और परीक्षीत करवाया जिसमें वादी सं. 2 ने स्वयं ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि हीरा पिता नारायण की कृषि आराजीयात जो कि वादीगण के पड़ौस में स्थित है उसे प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विक्रय किया है और विक्रय सुदा कृषि भुमि पर प्रतिवादी स. 1 व 2 ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। एवं स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि मैं मेरी जमीन पर ही खेती कर रहा हूँ। एवं स्वयं ने स्वीकार किया है कि मैंने कभी भी पेनाल्टि जमा नहीं करवाई है और न ही यह जमीन उसके खाते है इस तरह से वादीगण ने जो तथ्य अपने वाद पत्र में कब्जे को लेकर अंकित किये है उनका खण्डन करने में प्रतिवादी सं. 1 व 2 सफल हुये है। वादीगण ने अपने पक्ष में साक्ष्य में पी. डब्ल्यु 3 रामा पिता देवा जी मेघवाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया जिसमें उक्त गवाह ने भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं. 3 हीरा पिता नारायण जी मेघवाल ने अपनी कृषि आराजीयात छग्गा जी को विक्रय की जिस पर छग्गा जी को ही खेती करते देखते आ रहा है और उक्त भुमि पर आने जाने का काम उसका पड़ता रहता है और वादी ने कृषि भुमि पर कोई पैसा लगाया हो तो उसे किसी को पैसा देते हुये नहीं देखा है। एवं उक्त गवाह ने भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जो सही पड़ौस बताये है उसकी ताईद की इस तरह से उक्त गवाह वादीगण के वाद को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने में कोई सहायता नहीं करता है। प्रतिवादीगण छग्गा के फौत हो जाने के पश्चात् उसके वारीसान को रेकर्ड पर लिया गया है और प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में भंवरलाल, मांगीलाल एवं गणेशलाल के शपथपत्र प्रस्तुत किये जिसमें से भंवरलाल एवं मांगीलाल को परीक्षीत करवाया है एवं गणेशलाल वयोवृद्ध होने से बयान देने नही आ सका जिससे की उसे परीक्षीत नही करवाया गया है। डी. डब्ल्यू 1 भंवरलाल ने अपने शपथ पत्र के माध्यम जवाब वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम के कथनों को दोहराया है एवं अपनी प्रतिपरिक्षा में भी अपने जवाब वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम को सिद्ध किया है एवं मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा एवं वादग्रस्त आराजीयात को अपने पिता द्वारा हिरा पिता नारायण जी मेघवाल से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर वक्त खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

से ही काबिज होकर काश्त करते रहने के तथ्यों को सिद्ध किया है एवं वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं उनके परीवारजन द्वारा ही काश्त की जा रही है। एवं मौके के सही पड़ौसो का भी कथन किया है। इसी प्रकार डी. डब्ल्यु 2 मांगीलाल ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में मौके पर काबिज होकर काश्त करने के तथ्यों का कथन किया है एवं वक्त गवाही किन फसलों की बुवाई की जाकर फसल की पैदावार ली जा रही है कि ताईद भी की है और सिंचाई के साधन क्या है एवं मौके कि स्थिति का स्पष्टीकरण अपने बयानों के माध्यम से किया है एवं वादग्रस्त कृषि आराजीयात किसके द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया को भी स्पष्ट किया है इस तरह से प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात के प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार है और वर्तमान में खातेदारी हक से काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी ने जो दस्तावेज अपनी साक्ष्य में प्रदर्श करवाये है वे सभी दस्तावेज प्रतिवादी सं. 1 व 2 के जवाब दावें एवं काउन्टर क्लेम का समर्थन करते है जिसमें हिरा पिता नारायण के नाम की जमाबन्दीयां एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से दर्ज खाते की नकले / जमाबन्दी एवं जो रसीदे पेश की गई है उसमें किसी में भी आराजी सं. का अंकन नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा पुर्व में हिरा पिता नारायण जिसके नाम पर वादग्रस्त आराजीयात का पुर्व में नियमन हुआ था उसे निरस्त करवाने हेतु भी कोई कार्यवाही नही की और न ही कहीं अपील वगैरा ही की है। एवं यदि मौके पर वादीगण का कब्जा होता तो वादीगण मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु न्यायालय में आवेदन करते अथवा कमिशनर जारी करवाते जिससे की न्यायालय के सामने वास्तविक स्थिति आ सकती परन्तु चूंकि मौके पर वादीगण का कभी कोई कब्जा रहा ही नहीं इसीलिये वादीगण ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किये हैं। वादीगण ने अपने बयानो में पूर्व से ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खेती करते देखते आ रहे है का कथन किया है जबकि अन्य गवाहों ने भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पूर्व से ही खेती करते देखते हुये आ रहे है के कथन किया है एवं उससे पूर्व हीरा पिता नारायण मेघवाल को खेती करते हुये देखते हुए आने के कथन किये है एवं वादीगण जो अपने वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न होने की तथ्यों का अंकन किया है वो इसी आधार पर मिथ्या हो जाता है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का वाद म्याद बाहर होकर खारीज योग्य है। इस प्रकार से वादीगण अपने वाद पत्र को अपने पक्ष में सिद्ध करने में विफल रहे है जो कि खारीज योग्य है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम के माध्यम से साक्ष्य से वादीगण [illegible] वाद पत्र का खण्डन किया है एवं काउन्टर क्लेम को सिद्ध किया है जिससे कि वादीगण का वाद पत्र सव्यय खारीज फरामाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान कराने कि कृपा करावे।

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2002 (1) Page 111 पेश कर वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2016 (2) Page 791, RRT 2016 (1) Page 205 पेश कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरो का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

1. आया मौजा वासनीखुर्द की आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा स्वर्गीय नारायणलाल पिता परथा मेघवाल के समय से ही वादीगणों के कब्जे में होकर वे ही काश्त कर रहे है। जिस पर मकान बना हुआ है। जिसका वे घोषणा कराने के अधिकारी है।
2. आया उक्त आराजीयात पर वादीगणों द्वारा 15 वर्ष पूर्व कुआ खुदवाया जिससे वे सिंचाई करते है।
3. आया वादीगण एवं उनके पिता का पिछले 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये है।

उक्त तीनो तनकीयात को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। उक्त तीनो तनकीयात परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जाकर निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 9, 23, 24 लगान रसीद प्रस्तुत की है। जिसके माध्यम से वादी सिद्ध कराना चाहते है कि वादग्रस्त भूमि पर हमारे मौरूस नारायण पिता प्रथा का कब्जा था। प्रदर्श 12 भू–प्रबंध विभाग का मिलान पत्रक अनुसार आराजी नम्बर 708, 709, 710, 711, 712 साबिक आराजी नम्बर 150मी से ही बने हुए है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त लगान रसीद से यह स्पष्ट नही हो सकता है कि उक्त लगान रसीद किस आराजी के संबंध में जारी की गई है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज के आधार पर यह नही माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का रहा है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि मकान से संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए है। परन्तु उक्त मकान किसके द्वारा निर्मित किए गए एवं इनमें वर्तमान में कौन निवासरत है। इस संबंध में पत्रावली में स्पष्ट साक्ष्य नही है। तनकी नम्बर 3 के माध्यम से वादी का कथन है कि वादीगण एवं उनके पिता का पिछले 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वैसे तो वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हो, परन्तु वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को विक्रय की गई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात पूर्व के खातेदार द्वारा जवाब में वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्षो से कब्जा वादीगण का माना है। इस प्रकार पूर्व के खातेदार द्वारा यह कथन मान भी लिया जावे की वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है, फिर भी इस संबंध में वादी को लम्बे समय से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तीनो तनकीयात वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया आराजी नम्बर 708 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 712 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा का नियमन हुआ था और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1, 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी तथा 39 वर्षो से कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का चला आ रहा है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर रहा हैं। प्रदर्श 10 एवं प्रदर्श 11 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बिलानाम थी। जो प्रदर्श 11 तहसीलदार मावली का पत्रांक 2274 दिनांक 28.3.69 से एवं प्रदर्श 10 नामान्तरकरण संख्या 158 से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज हुई। न्यायालय आदेश से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खातेदार प्रतिवादी संख्या 1, 2 है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 39 वर्ष से प्रतिवादी संख्या 1, 2 का ही हो। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1, 2 पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

16. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बिलानाम भूमि दर्ज थी [illegible] नियमन से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:41 IST
Reason: SelfAttested

करना बताया है। जिससे कारण न्यायालय आदेश से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम पर दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खातेदार है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर घोषणा करवाना चाहते है, परन्तु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर RRT 2016 (2) Page 791 – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 88-Suit for declaration-RAA decreed the suit in the basis of adverse possession-Khatedari rights cannot be conferred on the basis of adverse possession-B.O.R. set aside the judgment & decree-Respondent No. 4 purchased the land on 05.04.1962 by registered sale deed & took possession-Held, BOR has not committed any illegality in setting aside the judgment & decree. से भी स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 जरिये काउण्टर वाद वादग्रस्त भूमि की पत्थरगड़ी करवाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पत्थरगड़ी किये जाने का कोई प्रावधान नही है। पत्थरगड़ी किये जाने के प्रावधान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में है। जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु यह साबित करवाना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का ही हो। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया हो तो उसे हटाया जावे। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त तथ्य से भी संशय उत्पन्न हो जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है या नही ? यदि वास्तव में ही प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा उक्त भूमि पर नही है तो इस वाद के माध्यम से प्रतिवादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इसके लिए प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कब्जा प्राप्त करने का वाद पृथक से प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार तनकी 1, 2, 3 का भार वादीगण पर था जिन्हे साबित कराने में वादीगण असफल रहे। जिसके कारण वाद वादीगण खारिज योग्य पाया जाता हैं साथ ही तनकी 4 का भार प्रतिवादी सं. 1, 2 पर था जिन्हे पूर्ण रूप से साबित कराने में प्रतिवादी सं. 1, 2 असफल रहे एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पत्थरगड़ी किये जाने का कोई प्रावधान नही होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 का प्रतिवाद खारिज योग्य पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:41 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री भगवान लाल पिता नारायणलाल जी, जाति–मेघवाल, आयु वयस्क, नि. वासनीखुर्द, तह. मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री गणेश लाल पिता नारायणलाल जी, जाति–मेघवाल, आयु वयस्क, नि. वासनीखुर्द, तह, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री छगा पिता गंगाराम जी, जाति–गुर्जर आयु वयस्क, नि. लोपड़ा तह. मावली, जिला उदयपुर (राज०)

1/1 श्री भमरू पिता छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री मांगु पिता छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 श्रीमती नारायणी पुत्री छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा हाल गोलवाड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 श्रीमती वरजु पत्नी छग्गाजी जाति गुर्जर निवासी निवासी लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

2. श्री गणेश पिता गंगाराम जी, जाति–गुर्जर आयु वयस्क, निवासी लोपड़ा तह. मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री हीरालाल पिता नारायणजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी वासनीखुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. उप पंजीयक महोदयजी. उप पंजीयन कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 251/07 (वाद) GCMS No. – 2007/00013

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.05.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:41 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली